पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2302
दिनांक 17.09.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- गोसाईगंज

- **02 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **हरियाणा से बिहार राज्य में करते थे अवैध शराब की तस्करी।**
- **473 बोतल अंग्रजी शराब कुल 269.025 लीटर (अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रूपये) बरामद।**
- **कूटरचित नम्बर प्लेट लगी KIA SONET भी की गयी बरामद।**
- **थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल दक्षिणी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाही:-

थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल दक्षिणी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर अभियुक्तो **1. मोहन लाल पुत्र भूप सिंह उम्र करीब 35 वर्ष** निवासी ग्राम गामडी पोस्ट गोहाना तहसील खानपुर गोहाना शहर सोनीपत हरियाणा **2. कृशन कुमार पुत्र हजारी लाल उम्र करीब 25 वर्ष** निवासी ग्राम छारा पोस्ट बहादुरगढ थाना बहादुरगढ झज्जर हरियाणा को **दुलारमऊ थाना गोसाईगंज** से गिरफ्तार किया गया। विभिन्न ब्राण्ड की 473 बोतल अंग्रजी शराब (कुल 269.025 लीटर, अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रूपये) KIA SONET भी बरामद करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.09.2025 को सूचना मिली कि गाड़ी संख्या PB27-L-1428, KIA सोनेट रंग काला हरियाणा प्रान्त से अवैध शराब को तस्करी कर बिहार प्रान्त ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज,सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी व आबकारी टीम सूचना पाते ही एक्सेला अपार्टमेंट के पास सुल्नापुर हाईवे पर पंहुचे और सुल्तानपुर रोड पर नाकाबन्दी कर चेकिंग की जाने लगी, तभी गाड़ी संख्या PB27-L-1428 आती हुई दिखायी दी। पुलिस टीम को देखकर गाड़ी चालक गाड़ी को घुमाकर एक्सेला कट से अयोध्या की तरफ विपरीत दिशा में भागने लगा। तभी पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करते हुए रास्ता जाम कर गाड़ी को **दुलारमऊ गांव** के पास रोकलिया गया तो गाड़ी में बैठे व्यक्ति गाडी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, इस पर पुलिस टीम द्वारा भागने वाले दोनों व्यक्तियों को घेरघार मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से नाम पता व भागने का कारण पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो वाहन चालक द्वारा अपना नाम मोहनलाल पुत्र भूपसिंह निवासी ग्राम गामड़ी पोस्ट गोहाना तहसील खानपुर थाना गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा बताया गया और गाड़ी में अवैध विदेशी शराब भरी होने की बात बतायी गयी। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम कृशन कुमार पुत्र हजारी लाल निवासी ग्राम छारा पोस्ट बहादुरगड थाना बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा बताया। मौके पर अभियुक्तों के वाहन KIA SONET को चेक किया गया तो गाड़ी में हरियाणा राज्य में विक्री हेतु अनुमन्य विदेशी शराब की बोतलें व दो अदद नम्बर प्लेट BR01-CJ-0557 आगे पीछे की मिली। गाड़ी में लगी नम्बर प्लेट PB27-L-1428 को ई-चालन एप पर चेक किया गया तो वाहन उपरोक्त हर्ष बिन्दर सिंह पुत्र गुरूचरण सिंह निवासी हाउस नं0 592 वार्ड नं0 11 निकट निरंकारी भवन कुराली सास नगर मोहाली साहिब जादा आजीत सिंह नगर पंजाब के नाम पंजीकृत होना पाया गया।

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से शराब रखने सम्बन्धी प्रपत्र व अतिरिक्त नम्बर प्लेट के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताये कि हमारे पास शराब रखने व परिवहन करने के कोई प्रपत्र नहीं हैं। हम यह शराब हरियाणा राज्य से बिहार राज्य में शराबबन्दी व आगामी चुनाव के समय में अधिक मुनाफा कमाने हेतु तस्करी कर बेंचने ले जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा हमे पकड़ लिया। हम लोग बिहार राज्य की सीमा में अन्दर जाने से पहले गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर बिहार राज्य की नम्बर प्लेटBR01-CJ-0557 लगा लेते है, जिससे कि बिहार पुलिस को हम पर शक न हो। पकड़े गये व्यक्तियो से वाहन के सम्बन्ध प्रपत्र मांगे गये तो बताये कि यह गाड़ी हमने **जूम कार एप** से किराये पर लिया है।

बरामदशुदा विदेशी शराब को गाडी से निकाल कर गिनतीकी गयी तो ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKEY, धारिता 750 ML तीव्रता 42.8 प्रतिशत V/V FOR SALE IN HARYANA ONLY की कुल 40 बोतलें, ROYAL STAG PREMIER WHISKEY, घारिता 750 ML. तीव्रता 42.8 प्रतिशत V/V FOR SALE IN HARYANA ONLY की कुल 213 बोतलें, BLENDERS PRIDE WHISKEY, धारिता 750 ML. तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V FOR SALE IN HARYANA ONLY की कुल 33 बोतलें, ROYAL STAG PREMIER WHISKEY, धारिता 375 ML तीव्रता 42.8 प्रतिशत V/V FOR SALE IN HARYANA ONLY की कुल 107 बोतलें, ROYAL STAG PREMIER WHISKEY, धारिता 180 ML तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V FOR SALE IN HARYANA ONLY की कुल 80 बोतलें (कुल 473 बोतलें) पायी गयी। पकड़े गये व्यक्तियों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. मोहन लाल पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम गामडी पोस्ट गोहाना तहसील खानपुर गोहाना शहर सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष (शिक्षा- 10वीं फेल, व्यवसाय-ड्राइवर)

2.कृशन कुमार पुत्र हजारी लाल निवासी ग्राम छारा पोस्ट बहादुरगढ थाना बहादुरगढ झज्जर हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष (शिक्षा- 8वीं तक, व्यवसाय- कार डेंटिंग-पेंटिंग)

<u>तस्करी का रूटः-</u>अभियुक्तगण हरियाणा से अंग्रेजी शराब लेकर दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, सीतापुर एवं लखनऊ से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बिहार राज्य में जाते थे।

<u>अपराध का तरीका (मॉड्स आपरेंडी):-</u>अभियुक्तगण द्वारा हरियाणा राज्य में निर्मित एवं हरियाणा राज्य में ही बिक्री हेतु अनुमन्य अंग्रेजी शराब को शराबबन्दी वाले बिहार राज्य में तस्करी किया जाता था। इसके लिये अभियुक्तगण **जूम कार मोबाइल एप** के माध्यम से कार को किराये पर लेते थे। बिहार राज्य में प्रवेश करने से पहले बिहार पुलिस से बचने के लिये अभियुक्तों के द्वारा किराये पर ली गयी कार की नम्बर प्लेट को बिहार राज्य की फर्जी नम्बर प्लेट से बदल दिया जाता था। अभियुक्तगण कार में अंग्रेजी शराब को भरकर बिहार राज्य में ले जाते थे और वहां पर शराब को फुटकर में ऊंचे दामों में बेंच देते थे। जिससे अभियुक्तगण को अधिक मुनाफा होता था।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1.मु0अ0सं0-472/25 धारा-318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गोसाईगंज, लखनऊ

<u>आपराधिक इतिहास मोहन लाल पुत्र भूप सिंहः-</u>

1. मु0अ0सं0-691/20 धारा-482 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद ।

2. मु0अ0सं0-472/25 धारा-318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गोसाईगंज, लखनऊ

बरामदगी विवरण:-

1. एक अदद KIA सोनेट कार वाहन संख्या PB27-L-1428
2. फर्जी नम्बर प्लेट दो अदद आगे पीछे की BR01-CJ-0557
3. ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKEY की 40 बोतलें(प्रत्येक 750 ml)
4. ROYAL STAG PREMIER WHISKEY की213 बोतलें(प्रत्येक 750 ml)
5. BLENDERS PRIDE WHISKEY की 33 बोतलें (प्रत्येक 750 ml)
6. ROYAL STAG PREMIER WHISKEY107 बोतलें (प्रत्येक 375 ml)
7. ROYAL STAG PREMIER WHISKEY 80 बोतलें (प्रत्येक 180 ml)

बरामद अंग्रेजी शराब हरियाणा की निर्मित है, जो कि हरियाणा में विक्रय हेतु वैध थी, किन्तु इसे अवैध परिवहन करके तस्करी हेतु बिहार प्रांत के लिये ले जाया जा रहा था।

निष्कर्ष:-पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कार्यवाही में एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। इस कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि पुलिस की सक्रियता एवं सतर्कता के कारण संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है।

गिरफ्तारी पुलिस टीम:-

- थाना गोसाईगंज, सर्विलांस सेल दक्षिणी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 2307
दिनांक-17.09.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृिता/पीडिता को सकुशल बरामद किया गया, तथा नाबालिग अपहृिता/पीडिता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले किशोर अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा गया।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.09.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 374/2025 धारा 137(2)** बीएनएस बाबत वादिनी की नाबालिग बहन उम्र 16 वर्ष का शाहगंज जौनपुर से इंट्रीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए जाना परन्तु लखनऊ के स्थान पर कानपुर नौबस्ता व अन्य स्थान पर पहुंचने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग अपहिता/ पीड़िता को उ0नि0 श्री अतीश सिंह व म0उ0नि0 प्रगति त्रिपाठी मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में भिठौली क्रासिंग लखनऊ के पास से दिनांक 16.09.2025 को बरामद कर थाने पर लाया गया, जिससे पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इंस्टाग्राम के माध्यम से अपहृता/ पीड़िता की एक लड़के से दोस्ती हुयी थी। उसी के बहकावे में आकर उसके साथ चली गयी थी।

आज दिनांक 17.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग अपहिता/ पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले एक नफर किशोर अपचारी को आधारखेड़ा मार्ग थाना क्षेत्र गुडम्बा लखनऊ से संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह लखनऊ भेजा गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बाः-

1. SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह
3. म0उ0नि0 प्रगति त्रिपाठी
4. का0 विवेक सिंह
5. का0 विकल्प
6. का0 विनोद यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2303
दिनांक 17.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी आटो चालक अभियुक्त को किया गयागिरफ्तार ।**
- **थाना इटौंजा पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.09.2025 को वादिनी की बहन को विपक्षी द्वारा छाड़ फूंक दवाई कराने के नाम पर आटो में बिठा लेना एवं उतरने की कोशिश करने पर जबरन हाथ पकडने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र थाना स्थानीय पर प्राप्त हुआ । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 74 बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । उ0नि0 श्री रविन्द्र पाल वर्मा मय हमराह पुलिस बल के अभियोग उपरोक्त के अभियुक्त की तलाश में महोना चौराहे पर मौजूद थे ।

थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत एवं सार्थक प्रयास के उपरांत मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त 1. सरोज यादव पुत्र जालिम यादव नि0 विश्रामपुरवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र 30 वर्ष को आज दिनांक 17.09.25 को असनहा मोड़ के पास से पकड़ा गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-अपराध का तरीकाः-

वादिनी की बहन को विपक्षी द्वारा छाड़ फूंक दवाई कराने के नाम पर आटो में बिठा लेना एवं उतरने की कोशिश करने पर जबरदस्ती हाथ पकडना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.सरोज यादव पुत्र जालिम यादव नि0 विश्रामपुरवा थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र 30 वर्ष व्यवसाय – आटो चालक

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र पाल वर्मा थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 सुभाष कुमार थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 पपिन कुमार थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2306
दिनांक-17/09/2025

जोन पश्चिमी/थाना कैसरबाग

- **थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अवैध गांजा 6 किलो 95 ग्राम व**
- **01 अदद ई-रिक्शा यूपी 32 एक्स एन 0395 बरामद**

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना कैसरबाग लखनऊ क्षेत्र में आज दिनाँक 17.09.2025 को म0उ0नि0 सीमा यादव मय प्रथम मोबाइल पर ड्यूटीरत व उ0नि0 श्री विशाल सिंह मय हमराहियान के कैसरबाग चौराहे पर मौजूद थी व ओडियन चौराहे पर चेकिंग में लगी फोर्स उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मय हमराह व उ0नि0 श्री योगेश चन्देल मय हमराह मौजूद थे, कि तभी डायल 112 द्वारा सब्जी मण्डी लाटूश रोड के सामने अवैध गांजा की सूचना मिली, दोनों टीम सूचना पर पंहुची, जहां पर पीआरवी 4853 चार पहिया वाहन व उसके कर्मचारीगण पहले से मौजूद थे रोड पर खडे ई-रिक्शा यूपी 32 एक्स एन 0395 की तरफ इशारा कर बताया कि इसी में पीछे नीले कलर के बैग में मादक पदार्थ रखा हुआ है और सीट पर ड्राइवर बैठा है बगल में खडी एक महिला है जिसका यह बैग बताया जा रहा है। उसके साथ में एक पुरूष था जो पुलिस की आहट पाकर भाग गया, महिला से उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नैन्सी सोनकर पुत्री संतोष सोनकर पत्नी संजय सोनकर निवासिनी ताराचन्द शीशी बोतल वाली गली घसियारी मण्डी लाटूश रोड थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष बताया तथा भागने वाले को अपना भाई तुषार सोनकर बताया व ई-रिक्शा चालक ने अपना नाम मैकू सोनकर पुत्र स्व0सरवन सोनकर निवासी शीशी बोतल वाली गली घसियारी मण्डी लाटूश रोड थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष बताया। मौके पर तलाशी ली गई तलाशी से कुल वजन 6 किलो 95 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 164/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत** कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01-.मैकू सोनकर पुत्र स्व0 सरवन सोनकर निवासी शीशी बोतल वाली गली घसियारी मण्डी लाटूश रोड थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष,

02-नैन्सी सोनकर पुत्री संतोष सोनकर पत्नी संजय सोनकर निवासिनी ताराचन्द शीशी बोतल वाली गली घसियारी मण्डी लाटूश रोड थाना कैसरबाग लखनऊ

04 बरामदगी:-

- एक बण्डल में कुल छः किलो पंचानवे ग्राम अवैध गांजा व
- एक अदद ई-रिक्शा यूपी 32 एक्स एन 0395

05-गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक:-

सब्जी मण्डी लाटूश रोड के सामने थाना कैसरबाग लखनऊ दिनांक 17/09/2025

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 सीमा यादव
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार
3. उ0नि0 योगेश चन्देल
4. उ0नि0 विशाल सिंह
5. उ0नि0 राजेश यादव
6. हे0का0 अखिलेश कुमार त्रिपाठी
7. का0 अनुज कुमार
8. का0 अनीश अहमद
9. का0 कुलदीप राठौर
10. का0 अनीश वर्मा
11. का0 श्यामू
12. का0 सौरभ कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2305
दिनांक-17.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- **थाना नाका साइबर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के डीएवी डिग्री कालेज मे साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा साइबर जागरूकता/साइबर अपराध के विरूद्ध के चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था उक्त के अनुपालन मे पुलिस उपायुक्त (प0) एवं अपर पुलिस उपायुक्त (प0) के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय थाना नाका हिण्डोला के कुशल नेतृत्व मे थाना नाका साइबर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17/09/2025 को थाना नाका क्षेत्र स्थित डी0ए0वी0 डिग्री कॉलेज आर्यनगर नाका हिण्डोला लखनऊ में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में वर्तमान समय में बढ़ती साइबर अपराध धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट एवं फ्रॉड की समस्याओं को लेकर छात्रों व अध्यापकों को जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि किस प्रकार अपराधी भय, भावनाओं एवं लालच का लाभ उठाकर पीड़ितों को अपने जाल में फँसाते हैं।

कार्यक्रम में विशेष रूप से निम्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ियों पर प्रकाश डाला गया –

1-फ़िशिंग अटैक

2-नौकरी से संबंधित फर्जी घोटाले

3-डेटिंग ऐप धोखाधड़ी

4-एटीएम/कार्ड स्किमिंग

5-फेसबुक प्रोफाइल कॉपी फ्रॉड

6-टेलीग्राम ऐप आधारित ठगी

7-डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर धोखाधड़ी

8-त्वरित धन कमाने की योजनाएं

साथ ही प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए किन-किन सावधानियों का पालन करना आवश्यक है तथा छात्र- छात्राओं को कई महत्वपूर्ण टूल्स से भी अवगत कराया गया –

✔ SANCHAR SAATHI App

✔ StopNCII.org

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2304

दिनांक:-17.09.2025

थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा 13 अदद गुमशुदा मोबाइल (कीमत लगभग 2,50000/- रुपया) बरामद कर उनके वास्तविक धारकों के सुपुर्द किया गया।

01-कार्यवाही

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा नागरिकों के खोये हुये मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी से प्राप्त आदेश एवं निर्देश तथा सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर, कमिश्नरेट लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष विकासनगर के सफल निर्देशन में

थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के CEIR पोर्टल पर प्राप्त मोबाईल गुमशुदगी की शिकायतों के सफल अनावरण हेतु तत्परता एवं सजगता से प्रभावी कार्य करते हुए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रान्त से 13 गुमशुदा मोबाइल फोन कीमत लगभग 250000/- बरामद की गयी। आज दिनांक 16.09.2025 को उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को प्रदान किया गया।

अपने खोये हुये मोबाइल फोन को प्राप्त कर नागरिकों द्वारा थाना विकासनगर पुलिस टीम व उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा की गयी ।

02-बरामदगी का विवरण:-

- 13 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल फोन कीमत लगभग 2,50000/- रूपया।

03-बरामद करने वाले पुलिस टीम का विवरण

- थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, बीट प्रभारी सब्जी मण्डी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड बी श्रीकान्त तिवारी, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।